SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश सं॰–08 / वि॰स्था॰आ॰(स्थानीय आपदा)–08 / 2024-259 (स्वी)/आ॰प्र॰, राँची दिनांक– 10.03.2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा॰प्र॰से॰
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰),
झारखण्ड।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा– अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होने वाले जान–माल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं के निमित्त तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित / हकदार को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु कुल 10,00,00,000 / – (दस करोड़) रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–257 / बजट दिनांक–21.03.2024 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये में)
मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, ईकाई–59–अन्य व्यय, विपत्र कोड–39–S–2245–80–102–01–00–07–59	10,00,00,000 / – (दस करोड़) रुपये मात्र।

3. यह स्वीकृति राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–04.02.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय–01 के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :–

"विभागीय संकल्प सं॰–969, दिनांक–25.10.2018, संकल्प संख्या–184, दिनांक–13.03.2021 एवं संकल्प–186, दिनांक–06.03.2023 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा– अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित / हकदार के निमित्त अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि **10,00,00,000 / – (दस करोड़) रुपये** की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यशीर्ष–2245 अन्तर्गत सुसंगत मद से करने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय लिया गया। राशि का आवंटन संबंधित जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं आवश्यकता के अनुरूप दिया जायेगा।

243

स्वीकृत्यादेश संख्या—08 / वि०स्था०आ०(स्थानीय आपदा)—08 / 2024-253(प्रो)/आ०प्र०, राँची दिनांक—10.03.2025

वित्तीय वर्ष 2024—25 में मुख्यशीर्ष—2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—102—विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष—01—विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष—07—अन्य व्यय, 59—अन्य व्यय (विपत्र कोड—39-S-2245-80-102-01-00-07-59) में कुल 150.00 (एक सौ पचास) करोड़ की राशि के उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृति का निर्णय लिया गया।"

4. इस स्वीकृत राशि से जिलों से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आलोक में आवश्यकतानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि विभागीय संकल्प सं०—969 दिनांक—25.10.2018, संकल्प संख्या—184, दिनांक—13.03.2021 एवं संकल्प—186, दिनांक—06.03.2023 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा— अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित / हकदार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान तत्संबंधी संकल्प निर्गत की तिथि के समय लागू भारत सरकार द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मानकों एवं मद—मानदण्ड के अनुरूप की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

7. संबंधित उपायुक्त भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. bill सृजित नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद—मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।

9. अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित / लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

11. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2025 के पूर्व ऑन—लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. (i) उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उपमुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iv) महालेखाकार से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

14. स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में –

(i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(ii) Treasury Code, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती में वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

16. दिनांक–04.02.2025 को मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10/3/25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–08/वि॰स्था॰आ॰(स्थानीय आपदा)–08/2024-259(आ)/आ०प्र०, राँची दिनांक–10.03.2025

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा–08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/25

सरकार के सचिव।

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2360

पत्रांक संख्या :- 259(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 10/03/2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सचिव।
टी॰ए॰ डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा गोलचक्कर के समीप, धुर्वा, राँची।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा- अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होने वाले जान-माल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं के निमित्त तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु कुल राशि 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
स्थापना व्यय

लघुशीर्ष	राशि
102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	☐10,00,00,000.00
कुलराशि :-	☐10,00,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224580102010759	01 - विनाश वाले क्षत्रो में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओ का प्रबंध	59 - अन्य व्यय	

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

11/3/25

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से